

क्रमांक:-एफ.4(ई)/(एन-676/2013)/अलेसे-III/448

दिनांक :- 15.6.2022

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती/सुश्री नरोत्तम पुरी (लिंक नं. 11115) कनि. लेखाकार कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला मुख्यालय, महात्मा गांधी, नरेगा-3000154 (चूरु) को राजस्थान सेवा नियमों के नियम-96 के अंतर्गत तत्कालीन कार्यालय अति. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, श्रेत्रीय कार्यालय, बीकानेर में कार्यरत रहते हुए उपभोग किए असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	असाधारण अवकाश की अवधि व कारण	कुल दिवस
1	दि. 01.05.2018 से 05.05.2018	05
2	दि. 06.05.2018 से 15.05.2018	10
3	दि. 16.05.2018 से 01.06.2018 (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	17
4	दि. 05.06.2018	01
5	दि. 06.06.2018 से 23.06.2018 (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	18
6	दि 24.06.2018 से दि. 04.07.2018	11
7	दि 09.07.2018 से दि. 03.08.2018 (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	26
8	दि 21.08.2018 से 26.08.2018	06
9	दि 27.08.2018 से 17.09.2018 (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	22
10	दि 24.09.2018 से 08.10.2018 (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	15
11	दि 09.10.2018 से 23.10.2018	15
12	दि 25.10.2018 से 09.11.2018	16
13	दि 10.11.2018 से 23.11.2018 (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	14
14	दि 24.11.2018 से 27.11.2018	04
15	दि 29.11.2018 से 05.12.2018	07
16	दि 12.12.2018 से 09.01.2019 (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	29
17	दि 10.01.2019 से 18.01.2019	09
18	दि 22.01.2019 से 19.02.2019 (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	29
19	दि 20.02.2019 से 08.03.2019	17
20	दि 12.03.2019 से 04.04.2019 (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	24
21	दि 09.04.2019 से 24.04.2019	16
22	दि 26.04.2019 से 03.05.2019	08
23	दि 08.05.2019 से 15.05.2019	08
24	दि 24.05.2019 से 05.07.2019	66
25	दि 07.09.2019	01
26	दि 08.09.2019 से 15.09.2019	08

कुल 402 दिवस

उक्त कुल 402 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री/श्रीमती/सुश्री नरोत्तम पुरी की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

उक्त स्वीकृति वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर की डायरी संख्या 2651 दिनांक 19.05.2022 से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी की गई है।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 15.6.2022

क्रमांक:-एफ.4(ई)/(एन-676/2013)/अलेसे-III/448

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला मुख्यालय, महात्मा गांधी, नरेगा-3000154 (चूरु)।
2. कोषाधिकारी, चूरु।
3. अति. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, श्रेत्रीय कार्यालय, बीकानेर।
4. श्री/श्रीमती/सुश्री नरोत्तम पुरी (लिंक नं. 11115) कनि. लेखाकार कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला मुख्यालय, महात्मा गांधी, नरेगा-3000154 (चूरु)।
5. निजी सचिव, निदेशक।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।



(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)